

# आदेश - पत्रक

764 / 13-19  
5

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

से ..... तक .....  
से ..... 200 .....

1	2	3																		
	<p>श्री <u>मती अरुण (कुमारी)</u> <u>मोक्षरविन्द (कुमार)</u> वन्द ..... ग्राम <u>पशासी</u> धाना <u>शूरसराप</u> ..... जिला <u>जालन्दा</u> के खाला नं० <u>3157</u> ..... दिनांक <u>11/04/2012</u> के आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="0"> <tr> <td>खाला नं०</td> <td>खाला</td> <td>खरिज</td> </tr> <tr> <td><u>रानीपुर</u></td> <td><u>204</u></td> <td><u>4234</u></td> </tr> <tr> <td><u>19</u></td> <td></td> <td><u>24000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>कीफै</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>पगान</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>1.00</u></td> </tr> </table> <p>महल पर लिखित पत्र हल्का कार्यालय को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित करने हेतु महल पर सूचना जारी कर आपत्ति की माँग कर। अभिलेख दिनांक <u>27/3/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी</p> <p>महल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कार्निवारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम पर दाखिल खरिज करने की अनुशंसा किया है। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खरिज ..... किया जाता है शुरुआत पत्र निर्गत करें।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी</p>	खाला नं०	खाला	खरिज	<u>रानीपुर</u>	<u>204</u>	<u>4234</u>	<u>19</u>		<u>24000</u>			<u>कीफै</u>			<u>पगान</u>			<u>1.00</u>	<p>आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में रिप्लाय तारीख सहित</p>
खाला नं०	खाला	खरिज																		
<u>रानीपुर</u>	<u>204</u>	<u>4234</u>																		
<u>19</u>		<u>24000</u>																		
		<u>कीफै</u>																		
		<u>पगान</u>																		
		<u>1.00</u>																		